

आवंटनादेश

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली ।

पटना, दिनांक:- 8-5-15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0001-प्रवासी मजदूरों का कल्याण (विपत्र कोड एन 2230011140001) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 जुलाई, 2015 तक व्यय के निमित्त निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

| वेतन | जीवन | मकान | परिवहन | चिकित्सा | योग | चिकित्सा | यात्रा | कार्यालय | दूरभाष | व्यावसायिक | कुल |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-------------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| 0101 | यापन | किराया | भत्ता | भत्ता | वेतन एवं | प्रतिपूर्ति | व्यय | व्यय | 1303 | एवं विशेष | योग |
| | भत्ता | भत्ता | 0105 | 0106 | भत्ते | 0601 | 1101 | 1301 | | सेवाएँ 2801 | |
| | 0103 | 0104 | | | | | | | | | |
| 231900 | 273900 | 69600 | 8500 | 950 | 584850 | 16000 | 33000 | 30000 | 20000 | 66000 | 749850 |

कुल आवंटित राशि ₹ 7,49,850/- (रूपये सात लाख उनचास हजार आठ सौ पचास) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-3429वि0(2) दिनांक-01.04.15 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- योग वेतन एवं भत्ते में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दे ।
- यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।
- आवंटन विमुक्त किये जाने के प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

ज्ञापांक:-6/बी3-107/2015 श्र0सं0-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-6/बी3-107/2015 श्र0सं0-

04

पटना, दिनांक:-

8.5.15

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष)/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग से अनुरोध है कि वित्त विभाग के पत्रांक-3448(वि०) दिनांक-01.04.15 में दिये गये निदेश का कार्यान्वयन कृपया सुनिश्चित कराया जाय ।

(अशोक कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

08/5/15